केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत संस्थान
मुख्यालय
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016
website:www.kvsangathan.nic.in
E-mail : jc.pers@kvs.gov.in
दूरभाष /Tel : 91-11-26858565

F.11085-15/2017/KVS HQ/Admn-I/CCPU/ Date : 25-08-2025

उपायुक्त / निदेशक
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
सभी क्षेत्रीय कार्यालय और
आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

विषय : वर्ष 2024–25 से केविसं समागम (पोर्टल) के माध्यम से ऑनलाइन मोड में वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में रिपोर्टिंग / पुनरीक्षण करने के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक लेख है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27–06–2025 का अवलोकन करें । इस संबंध में यह कहना है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)/क्षेत्रीय कार्यालय / आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / केन्द्रीय विद्यालयों में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियो की वर्ष 2024–25 से केविसं समागम (पोर्टल) के माध्यम से वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में **स्वःमूल्यांकन / रिपोर्टिंग / पुनरीक्षण** ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है ।

इस संबंध में कहना है कि वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) केविसं समागम (पोर्टल) का निरीक्षण करने पर पाया गया है कि मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय / आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / केन्द्रीय विद्यालयों मे कुछं पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों ने अपना पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण नही किया है ।

अतः सभी अधिकारियों से पुनः निवेदन किया जाता है कि वे अपना पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 31–08–2025 तक पूर्ण करें इसके बाद समागम पोर्टल पर पुनरीक्षण का कार्य नही हो सकेंगा । इस संबंध में पुनरीक्षण अधिकारी से भी अनुरोध किया जाता है कि तुरंत पुनरीक्षण का कार्य समय से पूर्ण करें ताकि सभी कर्मचारी दिये गये समय के अनुसार अपनी अपनी एपीएआर की छायाप्रति निकाल सकें ।

सभी उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालयो से अनुरोध है कि अपने अधीन विद्यालयों में पदस्थ प्राचार्य महोदय / महोदया को निर्देशित करे की पुनरीक्षण का कार्य विद्यालय स्तर पर जल्द से जल्द पूरा करने का श्रम करें ।

भवदीय

(सोमित श्रीवास्तव)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

1. निजी सहायक संयुक्त आयुक्त (वित्त) / संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक / ट्रैनिग) / उपायुक्त (प्रशासन / वित्त / शैक्षिक) तथा सहायक आयुक्त (वित्त / प्रशासन / शैक्षिक), केविसं (मु0) को सूचनार्थ ।
2. सहायक आयुक्त (आई.टी.सेल), केविसं (मु0) को सूचनार्थ ।

प्रतिलिपि
आयुक्त के निजी सचिव, केविसं (मु0) को सूचनार्थ ।